न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

रजि0 नं0 2021/92

अपील संख्या 12/51/2021

प्रवेश तिथि 25.06.2021

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री अमित कुमार पुत्र बनवारीलाल, निवासी–भगतजी कॉलोनी, शौकीन प्रोपर्टीज के पास, टपूकडा, तिजारा (अलवर)–301411		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 05.07.2021

1. अपीलार्थी उपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का विशुद्ध परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 26.04.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी के न्यायालय प्रकरण राजस्व वाद सं0 12 दिनांकः 11.01.2021 ब.उ. भजनलाल, अशोक कुमार बनाम बनवारीलाल में जारी नोटिस, प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से पूर्व मौका कमिश्नर नियुक्ति आदि संबंधी 03 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई।
5. उक्त आवेदन के क्रम में प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब, पत्र सं. राजस्व/2021/1192 दिनांकः 16.06.2021 से असंतुष्ट होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 19.06.2021 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2021/542–43 दिनांकः 28.06.2021 के माध्यम तलब कर दिनांकः 05.07.2021 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं किन्तु उनकी ओर से पत्रांक राजस्व/2021/1228 दिनांकः 02.07.21 के माध्यम से अपील का बिन्दुवार जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर मनन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक के प्रथम आवेदन दिनांकः 26.4.21 के क्रम में पत्र सं. 1226–27 दिनांकः 02.07.2021 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रक्रियाजनित प्रावधानानुसार कार्यवाही से सूचित किया जा चुका है साथ ही प्रकरण में नायब तहसीलदार टपूकडाव थानाधिकारी, टपूकडा को जारी पत्र की प्रति भी उपलब्ध कराई गई है, तद्नुसार पत्र सं. 1228 दिनांकः 02.07.21 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील अंतर्गत जवाब प्रस्तुत किया है।
8. जहाँ तक न्यायालय प्रकरण राजस्व वाद सं0 12 दिनांकः 11.01.2021 ब.उ. भजनलाल, अशोक कुमार बनाम बनवारीलाल में नोटिस "क्यों" नहीं जारी करने, किस तारीख को व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

किसके द्वारा प्राप्त करने एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व मौका कमिश्नर नियुक्त कर वास्तविक स्थिति जानने, एक पक्ष के सुनने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने संबंधी जानकारी/प्रश्नात्मक विवरण उपलब्ध कराने का प्रश्न है, माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अपील संख्या 3837/2011 ब.उ. सिकन्दर अली बनाम जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर में निर्णय दिनांकः 27.08.2014 एवं द्वितीय अपील संख्या 101093/2020 ब.उ. बुधकरण बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर में दिनांकः 23.12.2020 को निर्णय पारित कर माना है कि ''जहाँ कानूनी प्रावधानानुसार दस्तावेज की प्रति देने के लिए नियम बने हुए हों, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ही सूचना प्राप्त नही कर सकते हैं, क्योंकि अन्य अधिनियमानुसार वांछित सूचना प्राप्त कर सकने की स्थिति से सूचना पब्लिक डोमियन में होना माना जाता है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में ऐसे मामले नहीं होते हैं यदि प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है तो **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के अन्तर्गत वह सूचना नहीं दी जा सकती है।**'' उक्त के अतिरिक्त आवेदन में **न्यायालय प्रकरण अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही को लेकर अपीलार्थी की परिवेदना भी परिलक्षित** होती है जिसका निस्तारण इस अधिनियम के स्तर पर संभव नहीं है।

9. उक्त के अतिरिक्त ''क्यों'' वाले प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत परिभाषित नहीं हैं। स्पष्टीकरण दिये जाने हेतु न तो आवेदन–पत्र ग्राह्य किये जाने योग्य हैं और न ही लोक प्राधिकारी दायित्वाधीन है। प्रत्यर्थी द्वारा उनके राजस्व न्यायालय प्रकरणानुसार पत्र सं. राजस्व/2021/1192 दिनांकः 16.06.21 के माध्यम से बिन्दुवार किया गया विनिश्चय उचित है। पृथक से न्यायालय में प्रा0पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजों की सत्य प्रति प्राप्त की जा सकती है। अपील खारिज किया जाना समीचीन है।
10. अतः चाही गई सूचना ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा 8(1)(J) के तहत देय नहीं है। अपील खारिज करना समीचीन है।
11. अस्तु अपील माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में खारिज की जाती है।
12. आज दिनांकः 05.07.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।
13. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
14. निर्णय घोषित ।

(कमलराम मीना)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)